न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ बिश्नोई आर ए०एस)

मुकदमा संख्या :– 21/2017

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	बनाम	1. श्री अशोक कुमार बिसानी पुत्र परमानंद बिसानी उम्र 28 वर्ष जाति माहेश्वरी मूल निवासी बिसानी पाडा, जैसलमेर (राज.) विक्रेता मैसर्स अशोक कुमार परमानंद बिसानी, गुलास्तला रोड, जैसलमेर (राज.) 2. मालिक परमानंद बिसानी पुत्र तेजपाल बिसानी उम्र 68 वर्ष जाति महेश्वरी निवासी बिसानी पाडा, जैसलमेर (राज.) 3. मैसर्स अशोक कुमार परमानंद बिसानी गुलास्तला रोड, जैसलमेर (राज.) 4. गायत्री भाटिया पत्नी राजेन्द्र कुमार भाटिया निवासी मकान नम्बर 101, भाटिया पाडा, वार्ड नं. 06 जैसलमेर (राज.) मालिक मैसर्स पी.बी. एजेन्सीज, भाटिया मार्केट, जैसलमेर (राज.) 5. सुनिल अग्रवाल निवासी 2/5 न्यु विधाधर नगर, जयपुर (राज.) निदेशक मैसर्स पिंकसिटी ऑयल प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, वीकेआई जयपुर (राज.) 6. मधु अग्रवाल निदेशक मैसर्स पिंकसिटी ऑयल प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, वीकेआई जयपुर (राज.) 7. पिंकसिटी ऑयल प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. ई–760 रोड नं. 9 एफ–1 वीकेआई एरिया, जयपुर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के अधिवक्ता श्री गिरिराज पुरोहित।
3. अप्रार्थी अशोक कुमार बिसानी।
4. अप्रार्थी गायत्री भाटिया।

–:: निर्णय ::– दिनांकः 08.05.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.06.2016 को दोपहर 01:00 पीएम पर मैसर्स अशोक कुमार परमानंद बिसानी गुलास्तला रोड, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

मैसर्स अशोक कुमार परमानंद बिसानी गुलारतला रोड, जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री अशोक कुमार बिसानी कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया एवं उसकी प्रमाणित छाया प्रति दी जो संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर सरसों तेल एगमार्क ग्रेड-फर्स्ट, पिंकसिटी ब्राण्ड पैक्ड बोतल 500 एम.एल. की 10 नेट बोतल विक्रय हेतु रखी हुई थी मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात सरसों तेल एगमार्क ग्रेड-फर्स्ट, पिंकसिटी ब्राण्ड 500 एम. एल. की 04 बोतल नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 200 रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। विक्रेता ने उक्त माल खरीद बिल की छायाप्रति मौके पर दी जो पीबी एजेन्सी भाटिया मार्केट, जैसलमेर के बिल नं. 2320 दिनांक 09.04.2016 के द्वारा खरीद बताया गया है। इसके उपरान्त पीबी एजेन्सी ने उक्त माल का खरीद का बिल व टिन नं. की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत कर उक्त माल खरीद बिल पिंकसिटी ऑयल प्राईवेट लिमिटेड वीकेआई, जयपुर से इंवोइस नं. 20184 दिनांक 16.03.2016 के द्वारा खरीद होना बताया। पश्चात उक्त फर्म को पत्र द्वारा पत्र प्रेषित कर भागीदार की सूचना व अनुज्ञापत्र व टिन नं. की प्रति प्राप्त की जिनकी छाया प्रति संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा सरसों तेल एगमार्क ग्रेड-फर्स्ट, पिंकसिटी ब्राण्ड के पैक्ड बोतल 500 एम.एल. की 04 बोतलें हिसाब से मूल चार बोतलो में अलग-अलग बोतलों को बंद कर चारों नमूनों बोतलो पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना बोतलो पर चिपकाएं एवं बोतलों पर डीओं कोड एवं क्रमांक नम्बर एन-581 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और बोतलों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन-581 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-581 सरसों तेल एगमार्क ग्रेड-फर्स्ट, पिंकसिटी ब्राण्ड पैक्ड बोतल 500 एम.एल. लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढ़कर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को खादय सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा दिनांक 16.06.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील वन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील वन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 03.02.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/16619–22 दिनांक 04.07.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./731/Act/2016/760 दिनांक 28.06.2016 अनुसार उक्त नमूना अमानक (सव–स्टेण्डर्ड) पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के वाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/स्वी./एन–581/ के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री अशोक कुमार बिसानी पुत्र परमानंद बिसानी उम्र 28 वर्ष जाति माहेश्वरी मूल निवासी बिसानी पाडा, जैसलमेर (राज.) विक्रेता मैसर्स अशोक कुमार परमानंद बिसानी, गुलास्तला रोड, जैसलमेर (राज.) 2. मालिक परमानंद बिसानी पुत्र तेजपाल बिसानी उम्र 68 वर्ष जाति महेश्वरी निवासी बिसानी पाडा, जैसलमेर (राज.) 3. मैसर्स अशोक कुमार परमानंद बिसानी गुलास्तला रोड, जैसलमेर (राज.) 4. गायत्री भाटिया पत्नी राजेन्द्र कुमार भाटिया निवासी मकान नम्बर 101, भाटिया पाडा, वार्ड नं. 06 जैसलमेर (राज.) मालिक मैसर्स पी.वी. एजेन्सीज, भाटिया मार्केट, जैसलमेर (राज.) 5. सुनिल अग्रवाल निवासी 2/5 न्यु विधाध्र नगर, जयपुर (राज.) निदेशक मैसर्स पिंकसिटी ऑयल प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, वीकेआई जयपुर (राज.) 6. मधु अग्रवाल निदेशक मैसर्स पिंकसिटी ऑयल प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, वीकेआई जयपुर (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

7. पिंकसिटी ऑयल प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. ई-760 रोड नं. 9 एफ-1 वीकेआई एरिया, जयपुर (राज.) ने अमानक (सबस्टैण्डर्ड) सरसों तेल एगमार्क ग्रेड-फर्स्ट, पिंकसिटी ब्राण्ड पैक्ड बोतल 500 एम.एल. का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के द्वारा परिवाद के संबंध में दिनांक 24.04.2018 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया कि सरसों तेल एगमार्क ग्रेड-फर्स्ट, पिंकसिटी ब्राण्ड के जॉच हेतु दिये गये थे जो कि अमानक (सब-स्टेण्डर्ड) पाया गया है। हमारे द्वारा पैक माल का विक्रय हेतु रखा गया था, हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की गई है। नमुना जांच सामग्री को मेरे द्वारा मैसर्स पी.वी. एजेन्सी भाटिया मार्केट, जैसलमेर से पेक्ट खरीदा गया था, जो अभियुक्त संख्या 5 से 7 द्वारा निर्मित था। अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा परिवाद के संबंध में दिनांक 07.05.2019 को न्यायालय में स्वय उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त पिंकसिटी सरसो तेल का नमुना मैसर्स अशोक कुमार परमानंद बिसानी गुलास्तला रोड, जैसलमेर की फर्म से लिया गया था जो की मेरी स्वयं की फर्म से बेचान होना बताया गया। मुल्जिम का प्रथम अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण आज ही किए जाने की प्रार्थना है। भविष्य में हमारे द्वारा ना तो पिंकसिटी ऑयल प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा सरसो का तेल विक्रय कर फर्म में बेचा जायेगा एवं ना ही खरीदा जायेगा व पूर्ण सावधानी रखी जावेगी तथा किसी प्रकार की लापरवाही की पुनरावृति नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति पेश कर अर्ज है कि नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण आज ही किए जाने की आज्ञा प्रदान फरमावे ।

प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्स पर पहुंचा हूॅ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./731/Act/2016/760 दिनांक 28.06.2016 के अनुसार सरसों तेल एगमार्क ग्रेड-फर्स्ट, पिंकसिटी ब्राण्ड का उक्त

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

नमूना अमानक (सब-स्टेण्डर्ड) पाया गया हैं। वही अप्रार्थी स्वयं द्वारा भी अपने जबाब प्रार्थना पत्र में जुर्म स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी द्वारा जुर्म स्वीकार करनें से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करनें अथवा साक्ष्य सबूत पेश करनें की आवश्यकता नही रही है। परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी पर अमानक स्तर के सरसों तेल एगमार्क ग्रेड-फर्स्ट, पिंकसिटी ब्राण्ड का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है । अतः अप्रार्थीगण 1. श्री अशोक कुमार बिसानी 2. मालिक परमानंद बिसानी जो मैसर्स अशोक कुमार परमानंद बिसानी गुलास्तला रोड, जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर व अप्रार्थी संख्या 04 श्री गायत्री भाटीया जो मैसर्स पी.बी. एजेन्सीज, भाटिया मार्केट, जैसलमेर फर्म के प्रापरोईटर तथा अप्रार्थी संख्या 05 व 06 श्री सुनिल अग्रवाल व मधु अग्रवाल जो पिंकसिटी ऑयल प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. ई-760 रोड नं. 9 एफ-1 वीकेआई एरिया, जयपुर फर्म के प्रापराईटर द्वारा अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) स्तर की खाद्य वस्तु सरसों तेल एगमार्क ग्रेड-फर्स्ट पिंकसिटी ब्राण्ड विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 03 पर 1,00000/- अक्षरे एक लाख रूपये मात्र व अप्रार्थी संख्या 04 पर 1,00000/- अक्षरे एक लाख रूपये मात्र तथा अप्रार्थी 07 पर 1,00000/- अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी संख्या 1 व 4 तथा 07 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned by CamScanner